Guided by:- Dr. Mahesh Kumar
SVCRKS Coll. Sitamarhi
(BRABU)

B.Com. II — Liquidation of Company

6) एक कम्पनी के समापन से आप क्या समझते हैं? समापन की विभिन्न - विभिन्न विधियों का वर्णन करें।

Ans:- समापन का आशय कम्पनी के पूर्ण विघटन से है। यह एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा कम्पनी का व्यापार बंद कर दिया जाता है, कम्पनी की सम्पत्तियाँ बेच दी जाती हैं, कम्पनी की सम्पत्तियों, आदि से प्राप्त धन को बाह्य दायित्वों के भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाता है और यदि विभिन्न प्रकार के बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के बाद कुछ राशि शेष बचती है तो उसे अंशधारियों में अधिकारों के अनुसार बाँट दिया जाता है। यदि कम्पनी के समापन के समय इतना धन एकत्रित नहीं हो पाता कि वह बाह्य दायित्वों का पूरा - पूरा भुगतान कर सके, तो कम्पनी के अंशधारियों से उनके दायित्वों के अनुसार रकमें मांगी जाती हैं, यदि उनके द्वारा कोई रकमें न रकमें देय हैं।

समापन के द्वारा कम्पनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कम्पनी समापन के प्रमुख रूप हैं:- स्वेच्छा से समापन, न्यायालय के निरीक्षण में समापन एवं अनिवार्य समापन।

कम्पनी के समापन की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं:-

(i) सदस्यों की स्वेच्छा से समापन :-

जब कम्पनी की आर्थिक दशा ऐसी होती है कि वह अपने सभी ऋणों का भुगतान कर सकती हो और उसके सदस्य समापन का निश्चय करें तो इसे सदस्यों की स्वेच्छा से समापन कहते हैं। इस दशा में यदि कम्पनी में दो संचालक हों तो वे दो संचालक और यदि दो से अधिक संचालक हों तो इनमें से अधिकांश संचालक कम्पनी की 'शोधन - क्षमता की घोषणा' करते हैं। यह घोषणा संचालक सभा में की जानी चाहिए और इसके साथ उन्हें यह भी प्रकट करना चाहिए कि वे इस घोषणा को कम्पनी की पूरी जाँच करने के बाद ही कर रहे हैं।

Scanned with CamScanner

निस्तारक की नियुक्ति व पारिश्रमिक :—
शोधन क्षमता की घोषणा के तब कम्पनी के समापन का प्रस्ताव पास करने के लिए कम्पनी की सभा बुलायी जाती है। इसी सभा में कम्पनी के समापन के लिए एक या एक से अधिक निस्तारक नियुक्त किये जाते हैं तथा उनके पारिश्रमिक भी निश्चित किये जाते हैं। किसी निस्तारक को अपना कार्यभार तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक की उसका पारिश्रमिक निर्धारित न हो जाय। यदि निस्तारक का स्थान उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी प्रकार रिक्त होता है तो कम्पनी इसकी पूर्ति अपनी साधारण सभा में करती है। यह सभा किसी भी ऋणदाता या निस्तारक द्वारा बुलायी जा सकती है।
रजिस्ट्रार के पास उन निस्तारकों के नाम भेजना आवश्यक है, जो समापन के लिये नियुक्त किये गये हैं। निस्तारक कम्पनी का अफसर माना जाता है। जब सदस्यों की स्वेच्छा वाला समापन एक वर्ष से अधिक समय तक चलता है, तब निस्तारक को प्रत्येक वर्ष कम्पनी की साधारण सभा बुलानी पड़ती है। वह इसमें अपने कार्यों का विवरण देता है। जब उसका सारा कार्य पूरा हो जाता है, तो वह एक समापन खाता खोलता है, जिसमें यह दिखाता है कि समापन किस प्रकार किया गया है। अन्त में वह एक साधारण सभा बुलाता है, जिसके सामने वह इस खाते को अपने स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत करता है। यह सभा कम्पनी की अन्तिम सभा होती है।

लेनदारों की स्वेच्छा से समापन :—
जब कम्पनी के संचालकों द्वारा रजिस्ट्रार के पास कम्पनी की शोधन-क्षमता की कोई घोषणा फाइल नहीं की जाती है तथा कम्पनी की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि वह अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकती है, तो इस दशा में जो समापन होता है उसे 'लेनदारों की स्वेच्छा से समापन' कहा करते हैं। इसलिये कम्पनी के समापन के सम्बन्ध में जिस दिन कम्पनी की सदस्यों की सभा

बुलाई जाती है उसी दिन या उसके अगले दिन लेनदारों की सभा बुलाई जाती है। लेनदारों की सभा की सूचना को कम-से-कम एक बार सरकारी गजट में और दो बार ऐसी अखबारों में छपना चाहिए जो उस जिले में प्रचलित हों, जहाँ कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय है। लेनदारों की सभा में एक संचालक अध्यक्ष होता है।

निस्तारक की नियुक्ति:— सदस्य व लेनदार दोनों अपनी-अपनी सभाओं में एक निस्तारक की नियुक्ति करते हैं। यदि दोनों पक्षों में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को निस्तारक के पद के लिए मनोनीत किया गया है, तो लेनदारों द्वारा मनोनीत किया हुआ व्यक्ति ही निस्तारक की तरह कार्य करता है। यदि लेनदार किसी भी निस्तारक को मनोनीत नहीं करते हैं, तो सदस्यों द्वारा मनोनीत निस्तारक ही कार्य करता है और यदि सदस्य किसी भी निस्तारक को नियुक्त नहीं करते हैं, तो यदि लेनदारों का निस्तारक होगा तो वही कार्य करेगा।

यदि लेनदार चाहें तो अपनी प्रथम सभा में या अन्य सभाओं में अधिक-से-अधिक पाँच व्यक्तियों की एक निरीक्षण समिति नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद कम्पनी के सदस्य भी इस समिति के लिए पाँच सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। प्रार्थना-पत्र देने पर यदि न्यायालय उचित समझे, तो इस समिति के लिए कुछ सदस्य मनोनीत कर सकता है। निस्तारक का पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि लेनदारों द्वारा भी पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया जाता है, तो न्यायालय इसे निर्धारित करता है। यदि समापन का कार्य एक साल से अधिक चलता है तो निस्तारक समापन शुरू होने के एक साल बाद तथा फिर प्रत्येक वर्ष के अन्त में सदस्यों व लेनदारों की सभा बुलाता है जिसमें अपने वर्ष भर की कार्य-विधि प्रस्तुत करता है।

Scanned with CamScanner